# प्रेस नोट 10/11/2020

**<u>शातिर इनामिया (25 हजार) डकैत/लुटेरा अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल एवं तमंचा व कारतूस बरामद–</u>**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चन्द्रभान के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री राजकुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में दिनांक 09.11.20 की सायं करीब 6:30 बजे प्रभारी निरीक्षक हलधरपुर डी0 के0 श्रीवास्तव मय हमराही फोर्स एवं स्वाट टीम के निरीक्षक श्री राजेश प्रसाद यादव एवं हमराही फोर्स के संयुक्त चेकिंग अभियान में मुखबिर की सूचना पर बिलौझा बाजार के पास भीमहर बड़ागांव मोड़ पर 25000 के इनामिया शातिर डकैत/लुटेरा अपराधी संजय राम उर्फ डॉक्टर उर्फ संजय सक्सेना पुत्र प्रभुनाथ राम ग्राम डूमाडाड़ थाना नगरा जनपद बलिया को चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल हीरो डिलक्स बिना नम्बर एवं एक अदद अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह इसके पूर्व जनपद बलिया के विभिन्न थानों में अपने साथियों के साथ डकैती/लूट के विभिन्न वारदातों में शामिल रहा तथा सन् 2015 में थाना घोसी जनपद मऊ में एक सुनार को गोली मारकर की गई डकैती की भी घटना में भी शामिल रहा था। जिसमें उस घटना में पकड़ा नहीं गया। और भागकर नाम बदलकर छत्तीसगढ़ में रहता रहा है। कभी–कभी आपराधिक घटनाओं के लिए आता है और भाग जाता था। सन 2015 से थाना घोसी जनपद मऊ के मु0अ0सं0 584/20 धारा 395 397 413 416 506 आईपीसी में वांछित है। कल दिनांक 09.11.20 को बिलौझा चौराहा पर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। वही निरीक्षक राजेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में स्वाट टीम मिले जिनके साथ संयुक्त चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर खास की सूचना पर भीमहर बाजार के पास बड़ागावँ मोड़ पर उक्त संजय राम के आने की सूचना पर गाढ़ा बंदी की गई एवम् गिरफ्तारी/बरामदगी हुई। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त संजय राम उपरोक्त थाना नगरा जनपद बलिया का हिस्ट्रीशीटर है, और इसके ऊपर पूर्व से डकैती, लूट एवं हत्या के कुल 11 मुकदमे पंजीकृत है। कल की गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम एवं 41,411,414 भाद0वि0 में गिरफ्तार करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 437/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 438/2020 धारा 41,411,414 भ0द0वि0 का अभियोंग पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय मऊ द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पूर्व से ₹25000 का ईनाम भी घोषित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी से आस पास क्षेत्र के सर्राफा व्यवसायियों में काफी खुशी व्याप्त है।

**<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–</u>**

1. संजय राम उर्फ डॉक्टर उर्फ संजय सक्सेना पुत्र प्रभुनाथ राम ग्राम डूमाडाड़ थाना नगरा जनपद बलिया।

**<u>बरामदगी–</u>**

1. एक अदद देसी तमंचा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर।
2. एक अदद मोटर साइकिल हीरो डीलक्स व रंग नेवी ब्लू सफेद एवं एक मोबाइल फोन।

**<u>गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम–</u>**

निरीक्षक धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक थाना हलधरपुर जनपद मऊ, का0 अर्जुन कुमार यादव, का0 दीलीप कुमार, का0 उदय नाथ पासवान थाना हलधरपुर, मऊ।

निरीक्षक श्री राजेश प्रसाद यादव प्रभारी स्वाट टीम मऊ, का0 सर्वेश कुमार, का0 धीरेंद्र कुमार सिंह, का0 अनिल कुमार यादव, नीरज, अजीत, का0 लईक हुसैन, का0 अखिलेश, का0 अजय स्वाट टीम जनपद मऊ।

**<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त संजय राम उर्फ डॉक्टर उर्फ संजय सक्सेना–</u>**

1. मु0अ0सं0 66/12 धारा 395.397 भा.द.वि. थाना नगरा बलिया।
2. मु0अ0सं0 125/12 धारा 302.394.भा.द. वि. थाना गड़वार बलिया।
3. मु0अ0सं0 147/08 धारा 394 भा. द.वि. थाना सिकन्दरपुर बलिया।
4. मु0अ0सं0 288/09 धारा 356.411 भा.द.वि. थाना रसड़ा बलिया।
5. मु0अ0सं0 51/08 धारा 394.411 भा.द.वि. थाना फेफना बलिया।
6. मु0अ0सं0 180/12 धारा 2/3(1) उ. प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना गड़वार बलिया।
7. मु0अ0सं0 584/15 धारा 395.412. थाना घोसी जनपद मऊ।
8. मु0अ0सं0 377/15 धारा 392 भा.द.वि. थाना नगरा बलिया।
9. मु0अ0सं0 395/15 धारा 392.411 भा.द.वि. थाना नगरा बलिया।
10. मु0अ0सं0 372/14 धारा 3(1) उ. प्र. गुण्डा अधिनियम
11. मु0अ0सं0 314¹10 धारा110 जी सीआरपीसी थाना नगरा बलिया।
12. मु0अ0सं0 437/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हलधरपुर मऊ।
13. मु0अ0सं0 438/2020 धारा 41,411,414 भा0द0वि0 थाना हलधरपुर मऊ।

**<u>क्रूरतापूर्वक वाहन (ट्रक) में लदे 13 मवेशी बरामद, 04 व्यक्ति गिरफ्तार–</u>**

थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.11.2020 को देखभाल क्षेत्र के दौरान कैलेण्डर तिराहे के पास से एक ट्रक वाहन में 11 राशि भैंसो व 03 पड़वा क्रूरतापूर्वक लादकर ले जा रहे 04 व्यक्तियों क्रमशः लालजी पुत्र गामा, बालचंद पुत्र तुलसी निवासीगण राजापुर कसयां थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर, बब्बन यादव पुत्र रामकरन निवासी क्यामपुर थाना नोनहरा गाजीपुर, अरमान पुत्र मो0 अंसार निवासी रुपसपुर थाना मख्खनपुर जनपद फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 765/20 धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 का अभियो पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**<u>अवैध गांजे व कच्ची शराब के साथ दो व्यक्ति गिरफ्तार–</u>**

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 10.11.20 को देखभाल क्षेत्र के दौरान, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा धनौल मोड़ के पास से राजेश पुत्र क्षयबर निवासी नरहरपुर थाना बड़हलगंज गोरखपुर के कब्जे से 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ थाना घोसी पुलिस द्वारा रामा निवासी दौलतपुर थाना घोसी के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में क्रमशः थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**<u>एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–</u>**

थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.11.20 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0 762/20 धारा 354 भादवि व 7/8 पोस्को एक्ट में वांछित अभियुक्त फैजाल पुत्र इरफान निवासी वलीदपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**<u>शांति भंग की आशंका में कुल 12 व्यक्ति गिरफ्तार–</u>**

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 10.11.20 को देखभाल क्षेत्र के दौरान, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा बृजेश, जीयुत, सुभाष, लोरिक, प्रभनाथ निवासीगण मो0बाद सिपाह, मो0 हसन निवासी कस्बा व थाना दोहरीघाट, थाना घोसी पुलिस द्वारा गंगा, राधे निवासीगण खत्रीपार थाना घोसी, थाना मधुबन पुलिस द्वारा बबलू सोनकर व राममिलन निवासीगण हसनपुर थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा धर्मेन्द्र निवासी मीरपुर रहीमाबाद थाना मुहम्मदाबाद व थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा विकास यादव निवासी बेलचौरा थाना सरायलखंसी मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 10.11.2020 को यातायात माह नवम्बर –2020 में यातायात प्रभारी संतोष यादव ,हमराह एचसीपी रमेश कुमार, हे0का0 सुनील सिंह, हे0का0 रमेश चन्द्र शुल्का, का0 प्रवीण कुमार गुप्ता, का0 अरविन्द कुमार सिंह, होम गार्ड रामजीत ,होम गार्ड शिराह, हो0गा0 पंकज सिंह, पी0आर0डी0 अरविन्द कुमार, पी0आर0डी0 जगजीवन के साथ गाजीपुर तिराहा, रोडवेज, रेलवे स्टेशन, भीटी चौक पर पैदल चलने वाले यात्रियो को को यातायात नियमो के बारे मे जानकारी दी गयी व यातायात सम्बन्धी लिखे पम्पलेट/हैण्डविल बितरित की गयी तत्पश्चात यातायात के नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन वाहन चालक/स्वामी के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाकर बिना, रजिस्ट्रेशन, डी0एल0, इंशोरेन्स, फिटनेश विना हेलमेट, सीट बेल्ट, गलत नम्बर प्लेट मे कुल 145 वाहनो का चालान किया गया तथा 03 वाहन को पेपर न होने की वजह से सीज किया गया, जिसमें विना हेलमेट के 65, सीट बेल्ट–18, गलत नम्बर प्लेट पर 9, बिना डी0यल0 15 , मोबाईल फोन –19तथा ध्वनि प्रदूषण मे –08 तथा तीन सावरी –11चालान की कार्यवाही की गयी।